न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
04 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	21.02.2022	03.08.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.......प्रार्थी

बनाम

1–श्री ताराचन्द यादव पुत्र श्री गोविन्द राम यादव विक्रेता मैसर्स गोविन्द राम यादव विक्रेता मैसर्स गोविन्द स्वीट्स बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक निवासी बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक
2–श्री बलदेव यादव पुत्र श्री गोविन्द राम यादव विक्रेता मैसर्स गोविन्द राम यादव विक्रेता मैसर्स गोविन्द स्वीट्स बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक निवासी बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक

.... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा (ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थी उपस्थित ।

:–<u>निर्णय</u>–: **दिनांक 03.08.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2021 को समय 03:31 पीएम पर मैसर्स गोविन्द राम यादव विक्रेता मैसर्स गोविन्द स्वीट्स बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री ताराचन्द यादव पुत्र श्री गोविन्द राम यादव मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री ताराचन्द यादव ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाकर उक्त फर्म का प्रोपरायटर श्री बलदेव यादव पुत्र श्री गोविन्द राम यादव को होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **खोया बेस्ड स्वीट् बर्फी (Khoya Based Sweet Burfy Green Chocolate Flavour)** दुकान में स्टील की 2 ट्रे में लगभग 7–7 किलोग्राम रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री ताराचन्द यादव को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ. बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री ताराचन्द यादव व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **खोया बेस्ड स्वीट् बर्फी (Khoya Based Sweet Burfy Green Chocolate Flavour)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किया जा रहा है, कुल 2 किलोग्राम खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **खोया बेस्ड स्वीट् बर्फी (Khoya Based Sweet Burfy Green Chocolate Flavour)** को बराबर–बराबर (एक भाग 500 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में रखकर, प्रत्येक शिशी में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 40–40 बूंदें डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर शिशियों के ढक्कन को एयरटाईट बंद किया एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2976 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2976 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3298 दिनांक 09.12.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./1754/एक्ट/2021/1671 दिनांक 02.12.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **खोया बेस्ड स्वीट् बर्फी (Khoya Based Sweet Burfy Green Chocolate Flavour)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **खोया बेस्ड स्वीट् बर्फी (Khoya Based Sweet Burfy Green Chocolate Flavour)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **खोया बेस्ड स्वीट् बर्फी (Khoya Based Sweet Burfy Green Chocolate Flavour)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 50,000/— (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 03.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक